न्यूज़ लेटर
सेतु
सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef for every child | SPUP | Centre for Child Protection

जून – 2019 • अंक : 15

विशेषांक : मादक द्रव्यों के सेवन में बच्चे

निदेशक की कलम से ...

बच्चे अबोध और दूसरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें हर प्रकार की परिस्थितियों में निगरानी, मार्गदर्शन और देखभाल की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चों में ऐसी वस्तुओं और आदतों का शिकार बनने की अधिक संभावना रहती है जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे ज़ोखिमों में से एक है, मादक पदार्थों का सेवन करना या आम भाषा में कहा जाए तो नशीली चीज़ों का सेवन करना। मादक पदार्थों के सेवन के परिदृश्य और प्रवृत्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन किए जाने के मामले वयस्कों की अपेक्षा बच्चों के अधिक होते हैं। बच्चों के इस जंजाल में फंसने के मामले अधिक होते हैं क्योंकि किशोरावस्था के दौरान बच्चे नई चीजें आज़माकर उनका अनुभव लेना चाहते हैं। आम तौर पर, विशेष रूप से किशोरों में, यह भी देखा जा सकता है कि अवैध मादक पदार्थों की लत अपनी पहचान बनाने से भी संबंधित है। आगे रहने की होड़ में और अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दिखावा करने के लिए वे जल्द ही अपने जीवन में नशे के सेवन की शुरूआत कर देते हैं और धीरे – धीरे उन्हें उसकी लत लग जाती है जिससे उनके व्यवहार, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक खुशहाली पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं।

जीवन की नाज़ुक अवस्था में होने के कारण, बच्चों को इस प्रकार की चीज़ों से सुरक्षित रखे जाने की अहम ज़रूरत है। जितनी कम आयु में कोई बच्चा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता है या आदि हो जाता है, उसके मानसिक और शारीरिक रूप से कुविकसित होने की उतनी ही अधिक संभावनाएं रहती हैं। मादक पदार्थों या नशीली चीज़ों के सेवन के अन्य प्रत्यक्ष व गंभीर नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे स्कूली उपलब्धियों में पिछड़ना या स्कूल छोड़ देना, माता–पिता /परिजनों के साथ संबंध खराब होना, अवसाद, इत्यादि। समय के साथ साथ यह भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लगा है कि नशीली चीजों व अन्य अवैध वस्तुओं का सेवन पहली बार शुरू करने की उम्र कम होती जा रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है और इसमें तुरन्त हस्तक्षेप किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों द्वारा तम्बाकू और शराब का सेवन किया जाना वर्तमान समय में एक बहुत आम दृष्य बन गया है।

यह परिवार के व्यस्कों और समाज की ज़िम्मेदारी है कि वे समस्या का समाधान करें। परिवार ही वह पहला चरण है जिससे रोकथाम और उपचार की प्रक्रिया आरम्भ होती है। जिन मामलों में परिवार के हस्तक्षेप की सहायता से समस्या का समाधान नहीं मिल पाता वहां पुनर्वासन केंद्र सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक स्तर पर भी, यदि नियमों व कानूनों को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए, तो नशीले पदार्थों के सेवन को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस का यह दायित्व है कि वे, विशेषकर स्कूलों व शिक्षण संस्थानों व आसपास के स्थानों में बच्चों को नशा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए रोकथाम के उचित उपाय अपनाएं। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त वाहकों व अपराधिक गिरोहों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाहियाँ किया जाना सुनिश्चित करने की भी ज़रूरत है।

सेतु का यह विशेषांक बच्चों में मादक दृव्यों की लत पड़ने के संबंध में है। यह अंक मादक पदार्थों की विषय वस्तु व कानूनी प्रावधानों की जानकारी के अलावा, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के नशे की समस्या एवं स्थानीय पुलिस द्वारा इसके लिए किए जा रहे प्रयासों व उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालने जा रहा है। इसके साथ ही, प्रस्तुत अंक में दी गयी वास्तविक केस स्टडी के माध्यम से बच्चों के नशे के जाल में फंसने की संभावित परिस्थितियों को समझा जा सकता है। यद्यपि परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न और अपरिभाषित होती हैं, लेकिन यह केस पाठकों को यह समझने में मदद करेगा कि कैसे कोई किशोर बालक अनजाने में इस जाल में फंस जाता है और जिस समय वह लगभग अपना भविष्य नष्ट करने की दहलीज़ पर पहुंच चुका होता है उसे इस समस्या से मुक्त करवाकर उसका पुनर्वासन किया जाता है।

राजीव शर्मा (आईपीएस)
निदेशक, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर।

: सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, सेटेलाईट कैम्पस, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर

न्यूज लेटर
सेतु
unicef for every child
SPUP
Centre for Child Protection
जून – 2019 अंक : 15

बच्चों में मादक पदार्थ व्यसन (नशे की लत) : एक परिचय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की परिभाषा के अनुसार अल्कोहल / शराब व अवैध दवाओं सहित किसी भी साईकोएक्टिव पदार्थ का सेवन किया जाना मादक पदार्थों का सेवन होता है और इसे खतरनाक माना जाता है[1]। ऐसी दवाओं, अल्कोहल / शराब व अन्य नशीली दवाओं का बार बार सेवन किया जाना बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि उनके व्यवहार में भी नकारात्मक परिवर्तन आता है। ज़ोखिमपूर्ण व्यवहार जैसे अपराधवृत्ति, आत्मघाती प्रवृत्ति, शैक्षणिक असफलता, अहिंसा, स्कूल में गैरहाज़िरी, समयपूर्व यौन सक्रियता, इत्यादि, मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े हुए हैं[2]। किशोरों द्वारा नशीली दवाओं और अल्कोहल का सेवन किया जाना दुर्घटनाओं और प्राणघातक परिस्थितियों के निवार्य कारणों को बढ़ावा देते है। अपराधवृत्ति, आत्मदाह के मामले, किशोरी–गर्भावस्था, स्कूल / पढ़ाई में पिछड़ना इत्यादि इसके अन्य परिणामों में से हैं। निष्क्रिय नशा सेवन (अन्य व्यक्ति द्वारा नशा करने) के प्रभाव दूसरे बच्चों / छोटे बच्चों / नवजात शिशुओं पर भी पड़ते हैं। मादक दवाओं का सेवन धीरे धीरे बढ़ने से यह एक लत बन जाती है जो कि, सेवन करने वाले व्यक्ति, दवा / मादक पदार्थ और आसपास के वातावरण के बीच की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है[3]।

कौन खतरे में है?

वर्तमान समय में किशोरावस्था में पहुंचने वाले बच्चे और किशोर दोनों मादक पदार्थों व नशीली दवाओं के सेवन और उनकी लत लगने के ज़ोखिम में हैं। मनोवैज्ञानिक विचलन और शारीरिक बर्ताव इस अवस्था से संबंधित होते हैं। जैसा कि कुछ मामलों में देखा गया है, उन परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चे अधिक ज़ोखिम में रहते हैं जिनमें नशे का नियमित रूप से सेवन किया जाता है। स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे, बाल अपराधी, बेसहारा बच्चे, रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चे, अवसादग्रस्त बच्चे, गर्भवती किशोरियाँ, मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित, अपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे, पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चे, मानसिक रूप से बीमार बच्चे, इत्यादि उन अन्य बच्चों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा ज़ोखिम में माना जाता है। सहपाठी / हमउम्र साथियों का समूह, मादक द्रव्य सेवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान आयु, जेंडर व सामाजिक समूह के सदस्यों के साथ में यह व्यवहार अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अनुभव लेने / आज़माईश के लिए इसकी शुरूआत होती है जो कि धीरे – धीरे एक आदत बन जाती है। किशोरावस्था में मादक द्रव्य सेवन, आमतौर पर अपराधवृत्ति, सामाजिक व्यवहार में बदलाव, अनुचित यौन व्यवहार, स्कूली / शैक्षणिक अनुपलब्धियों आदि से संबंधित रहता है। मादक द्रव्य सेवन के कई शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं; दिल के रोग, श्वसन संक्रमण, स्नायु तंत्र अवसाद, निरंतर खाँसी, गुर्दे व यकृत का खराब होना, नींद नहीं आना, स्वः–उत्तेजना, वज़न में कमी, अधिक पसीना आना, उदर व आंत रोग इत्यादि उन दुष्प्रभावों में से कुछ हैं[4]।

किशोरों में आजकल हुक्का बार का क्रेज़ भी चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है। हुक्कों को आजकल ''वाटर–पाईप्स'' भी कहा जाता है। इनका उपयोग विशेष रूप से तम्बाकू के सेवन के लिए किया जाता है जो विभिन्न फ्लेर्व्स में आते हैं। इस प्रकार के तम्बाकू को एक पात्र में रखकर चारकोल से गर्म किया जाता है। गर्म किए गए तम्बाकू को फिर पाईप के द्वारा सांस से खींचा जाता है। नवयुवक हुक्का सेवन करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह परम्परागत तम्बाकू का ज्यादा परिशुद्ध और आधुनिक रूप होता है। न केवल जवान लड़के बल्कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियों को भी आमतौर पर हुक्का पीते हुए देखा जा सकता है। चूंकि इसे आजकल एक सामाजिक सरोकार के रूप में लिया जाता है, जल्दी–जल्दी, गहराई से और लम्बे समय तक इसके कश लिए जाने के कारण, सगरेट की तुलना में हुक्के से निकोटीन का सेवन अपेक्षाकृत बहुत अधिक हो जाता है। कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित खतरनाक कारकों से जुड़े होने के बावजूद भी, पूरे देशभर में अपेक्षाकृत बड़े शहरों में नवयुवकों व नवयुवतियों को आमतौर पर इस प्रकार का नशा करते हुए देखा जा सकता है।

[1] *https://www.who.int/topics/substance_abuse/en/*
[2] *https://pedsinreview.aappublications.org/content/18/11/394*
[3] *https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/189961*
[4] *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1793917/pdf/archdisch00633-0007.pdf*

बच्चों में मादक पदार्थ व्यसन से संबंधित कानूनी प्रावधान

- **सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003** – कोटपा (COTPA) के नाम से जाना जाने वाला यह अधिनियम भारत में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों का निषेधन, एवं इनके व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति व वितरण का नियमन करता है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों व परिवहन के साधनों में धूम्रपान करना निषेध है। तम्बाकू से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। यह 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के खरीदने पर पाबंदी लगाता है और सभी तम्बाकू उत्पादों पर हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में चित्र के साथ यह चेतावनी देने पर ज़ोर देता है कि ''धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है''। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए या नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचते हुए पाए जाने पर 200 रूपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि तम्बाकू उत्पाद के बाहरी पैक पर चेतावनी नहीं दर्शाई जाती है तो उत्पादकों पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है[5]।

- **नशीली दवाओं पर एकल समझौता, 1961**– इस समझौते का उद्देश्य समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों के माध्यम से नशे की समस्या का समाधान करना है। प्रथमतः, यह नशे वाली चीज़ों पर व्यक्ति के कब्ज़े, उनके उपयोग, वितरण, आयात, निर्यात, उत्पादन, व वैज्ञानिकीय या चिकित्सकीय उद्देश्यों से दवाओं के उत्पादन के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। दूसरा, यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मादक पदार्थों के तस्करों पर लगाम कसने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए तस्करी को नियंत्रित करता है[6]।

- **साईकोट्रोपिक पदार्थों पर सम्मेलन/करार, 1971** – 1971 के इस समझौते में 33 अनुच्छेद हैं जो कि प्रमुखतः 1961 के नशीली दवाओं के एकल समझौते पर आधारित है। इस समझौते में ही अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक दवा नियंत्रण को नियमबद्ध व विस्तृत किया गया था। 1971 का यह समझौता साईकोट्रोपिक दवाओं के उत्पादन व वितरण का नियमन करता है। साथ ही, ऐसी दवाओं की बिक्री व प्रचार के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। यह नियंत्रित पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए निरीक्षण व अन्य उपायों की प्रणाली के निर्वाहन की ज़रूरत पर भी ज़ोर देता है। इस समझौते में यह भी कहा गया है कि राज्यों द्वारा नशा पीड़ितों के उपचार और पुर्नवासन के लिए पुख्ता उपाय किए जाने चाहिए[7]।

- **नारकोटिक दवाईयों व साईकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन/समझौता, 1988**– यह समझौता दवाओं की तस्करी के विरूद्ध व्यापक उपाय प्रदान करता है जिसमें हवाला और मूल रसायनों को दूसरे रूप में बदलने (डायवर्ज़न ऑफ प्रीकर्सर कैमीकल्स) के विरूद्ध प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन को भी संभव बनाता है। उदहारण के लिए, दवा तस्करों की स्वदेश वापसी, नियंत्रित सुपुर्दगी (डिलिवरीज़) और कानूनी कार्यवाहियों का हस्तान्तरण[8]।

- **नशे की लत के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही (सीएडीए)** – सीएडीए (CADA) नशे की लत के खतरे से लड़ने के लिए पंजाब सरकार की एक योजना है। अवैध पदार्थों की स्मगलिंग व तस्करी से संबंधित नियमों व कानूनों का प्रभावी अनुपालन, विभिन्न दवाओं के स्मगलरों/डीलर्स, वितरकों के खिलाफ समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। यह योजना मुख्यतः पंजाब में सम्पूर्ण सप्लाई चेन को पूरी तरह से तहस–नहस करने पर ज़ोर देती है। इस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने, उनके प्रभावशाली संचालन और मरीजों के पुनर्वास व उनके सम्पूर्ण सुधार हेतु कार्यक्रम चलाने का भी प्रावधान है। इसके तहत ऐसे उपाय भी किए जाने का प्रावधान है जिनसे समाज के कमज़ोर वर्ग को इस संकट में फंसने से बचाया जा सके।[9]

---

[5] *https://www.careerride.com/view/features-of-cotpa-act-21193.aspx*
[6] *https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html*
[7] *https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/this-day-in-history-the-1971-convention-on-psychotropic- substances.html*
[8] *https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html*
[9] *http://pbhealth.gov.in/cada%20file.pdf*

बच्चों में नशे के विरूद्ध लड़ाई

विभिन्न हितधारकों द्वारा कुछ उपाय अपनाए जाने से बच्चों मे नशे को नियंत्रित व प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस दिशा में किए जा रहे कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं[10]

- **कुछ विशेष दवाओं/पदार्थों का प्रतिबंधित उपयोग** – नशीली दवाओं के संबंध में हुए तीन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में कुछ विशेष दवाओं को चिकित्सकीय कारणों के अलावा अन्य उद्देश्यों से उपयोग किए जाने पर प्रतिबंधित करने की संकल्पना है। ये समझौते हैं, साईकोट्रोपिक पदार्थों पर सम्मेलन/करार, 1971, नशीली दवाओं पर एकल समझौता, 1961 और नारकोटिक दवाईयों व साईकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन/समझौता, 1988। ये समझौते उन देशों में कुछ दवाओं के गैर–चिकित्सकीय उपयोगों को प्रतिबंधित करते हैं जिन्होंने इनपर हस्ताक्षर किए हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **प्रतिबंधित बिक्री व उपलब्धता** – नवयुवकों द्वारा नशीली दवओं के सेवन को नियंत्रित करने के लिए यह सर्वाधिक व्यवहार्य उपाय है कि ऐसे पदार्थों की बिक्री व उपलब्धता को प्रतिबंधित किया जाए। यह प्रतिबंधन न केवल नवयुवकों के लिए है बल्कि उन सभी आयु समूहों के लिए लागू होता है जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। भारत के कुछ राज्यों में शराब की बिक्री, खरीदारी और सेवन भी प्रतिबंधित हैं; मणिपुर, गुजरात, मिज़ोरम, बिहार, लक्षद्वीप (यूटी) व नागालैंड उन राज्यों में से हैं। इनमें से गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जानलेवा नकली शराब बनाने और बेचे जाने की सज़ा मृत्यु दण्ड निर्धारित की गयी है।

- **न्यूनतम वैध आयु** – कई देशों में दवाओं और अल्कोहल/शराब की खरीदारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष लागू की गयी है। शराब सेवन की वैध आयु अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं। कुछ राज्यों ने इसे 25 वर्ष रखा है। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रावधानों ने नवयुवकों द्वारा इनके सेवन को कठिन बनाया है, क्योंकि यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को ऐसे उत्पाद बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाता है।

- **अधिक मूल्य व कर** – शराब व अन्य मादक पदार्थों के मूल्य में वृद्धि करना, इनके सेवन को कम करने में सहायक होता है। ऐसा इन पर लगाए जाने वाले कर में बढ़ोत्तरी करके किया जा सकता है। कर बढ़ाने से शराब के समग्र सेवन में कमी आने के सतत प्रमाण देखे गए हैं जिससे अन्य पहलू भी प्रभावित हुए हैं, जैसे अपराधों, हिंसा, मृत्युदर व यौन जनित रोगों इत्यादि के मामलों में कमी आई है। हालांकि यह मॉडल विकसित देशों की तुलना में भारत में कम प्रभावशाली है।

- **मादक पदार्थों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध** – प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के भड़काऊ विज्ञापनों से प्रभावित होकर नवयुवक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अग्रसर होते हैं। ये विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को ऐसी चीज़ें आज़माने पर दबाव डालते हैं क्योंकि इनमें से कई में कोई न कोई मशहूर व्यक्ति या युवा मॉडल्स शामिल होते हैं और ये हास्य–आधारित होते हैं। नवयुवकों में अल्कोहल/शराब व तम्बाकू उपयोग के 30 प्रतिशत मामलों के लिए विज्ञापनों को ज़िम्मेदार माना जा सकता है। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 5 के तहत तम्बाकू व अल्कोहल उत्पादों के विज्ञापन निषेध हैं।

- **प्रेरक वृद्धि चिकित्सा (मोटीवेशनल एन्हान्समेंट थैरेपी):** यह सामाजिक सीख सिद्धान्त और बदलाव की अवधारणा पर आधारित है। मोटीवेशनल एन्हान्समेंट थैरेपी एक क्लाईंट केंद्रित सिद्धान्त है जो कि बदलाव लाने के लिए आंतरिक प्रेरणा पैदा करने में सहायता करती है।

- **अभिभावकीय जिम्मेदारियाँ** – नशे की रोकथाम की शुरूआात माता–पिता की ओर से या बड़े तौर पर कहें तो परिवार से होती है। प्रभावशाली वार्तालाप, बच्चे की बात सुनना और उसे उस चीज़ के लिए ''नहीं'' कहना सिखाना जो उनके लिए सही नहीं है, इस खतरे की रोकथाम का पहला चरण होता है। किशोरावस्था का आरम्भ होना इस प्रकार की वार्तालाप किए जाने का सबसे उचित समय होता है क्योंकि यही वह समय होता है जबकि बच्चे अपने हमउम्र साथियों/सहपाठियों से प्रेरित होते हैं। इसलिए, रोकथाम की भूमिका की शुरूआत परिवार से ही होती है[11]।

[10] *http://www.indianjpsychiatry.org/article.asp?issn=00195545;year=2017;volume=59;issue=1;spage=111;epage=118;aulast=Jiloha*
[11] *https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/Drug-Abuse-Prevention-Starts-with-Parents.aspx*

न्यूज लेटर
सेतु
जून – 2019 अंक : 15

नशाः जिला श्रीगंगानगर के विशेष परिपेक्ष्य में

प्रस्तावनाः श्रीगंगानगर जिले को कृषि के क्षेत्र में निरंतर उन्नति करने के कारण 'धान का कटोरा' कहा जाता है। कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहाँ मजदूरों कि हमेशा आवश्यकता रहती है। मजदूरों कि कार्यक्षमता बढाने के लिए इन्हें रियासत काल से ही धीरे धीरे अफीम, पोस्त जैसा नशा दिया जाने लगा था। मजदूर वर्ग से होती हुई यह आदत धीरे धीरे सामान्य वर्ग में भी आई और आज इसने सभी वर्गों यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

श्रीगंगानगर जिले में वर्तमान में तीन प्रकार के नशे का प्रचलन हैः

- पारंपरिक नशेः अफीम, डोडा पोस्त, हेरोइन, स्मैक / चिट्टा, गांजा, इत्यादि।
- साइकोट्रॉपिक ड्रग्सः जैसे कि बेन्जोडाईज़ेपीन ड्रग्स कि श्रेणी में एल्प्राजोम टेबलेट, डाईज़ेपोम टेबलेट, नाइट्राज़ेपाम, एटिलोजाम इत्यादि एवं ओपियोइड ड्रग्स कि श्रेणी में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, कोडीनफॉस्फेट युक्त खांसी की दवाइयां, दर्द निवारक इंजेक्शन इत्यादि आते हैं।
- चिट्टाः यह आधुनिक नशे का प्रारूप है जिसका संयोजन कोई निश्चित नहीं है। इसमें स्मैक में नशे की गोलियां पीसकर मिलाई जाती हैं या अन्य नशे कि चीज़ों को आपस में मिलाकर नया रूप दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा पोस्त का नशा बंद किये जाने के कारण व साईकोट्रोपिक ड्रग्स सस्ती व आसानी से उपलब्ध होने के कारण इनका प्रयोग मजदूर वर्ग एवं बेरोज़गार युवा वर्ग में बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही साथ रईस वर्ग कि युवा पीढ़ी में सूंघने वाले नशे, चिट्टा, हेरोइन, स्मैक का प्रचलन भी बढ़ रहा है।

सन 1990 – 1993 में तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक **श्री सुधीर प्रतापसिंह, आई.पी.एस.** द्वारा सर्वप्रथम जिला में नशा मुक्ति अभियान कि शुरुआत की गई, जिसके तहत उन्होंने पुलिस के मार्फ़त सम्पूर्ण जिले में नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन प्रारम्भ किया व इसे एक संस्थागत रूप दिया। कई वर्षों तक यह कार्यक्रम सतत चला। तत्पश्चात श्रीगंगानगर जिले में जनवरी 2019 में **श्री हेमंत शर्मा, आई.पी.एस. जिला पुलिस अधीक्षक** के पद पर नियुक्त हुए जिन्होंने उक्त योजना को पुनर्जीवित करते हुए इसे एक नया रूप दिया व एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर सम्पूर्ण जिले में इसे एक अभियान के रूप में प्रारंभ किया तथा एक बहुआयामी योजना बनायी जिसमें निम्न बिंदु समाहित किये गएः

- **नशे कि आपूर्ति पर प्रभावी रोकः** श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा नशे के बड़े तस्करों पर लगातार कार्यवाही जारी है। विगत चार माह में जिला द्वारा इस ओर एक सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी है जिसके परिणामस्वरूप साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कि उपलब्धता पर प्रभावी रोक लगी है। ड्रग्स कंट्रोलर के माध्यम से मेडिकल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण करवाया गया तथा कतिपय मेडिकल स्टोर पर डेकोय भेजकर भी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कि बिक्री पर अंकुश लगाने के प्रयास किये गए जिसके फलस्वरूप जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2019 में जनवरी से मार्च के बीच में 145 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित तथा 72 निरस्त करवाए गए।
- **नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विशेष रूप से किशोरवय में जागरूकता पैदा करनाः** नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करने के लिए नियमित नशा मुक्ति कैंप चलाये जा रहे हैं।
- **पैबंद योजनाः** इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 6 मार्च 2019 को गाँव कालियां से किया गया, जिसके तहत जिला श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा नशाखोरी में बदनाम गांव कालियां को गोद लिया जाकर गांव को नशामुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना में किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैंः
  - डोर टू डोर सर्वे कर गांव में नशाग्रस्त किशोरों एवं व्यस्क लोगों का चिन्हिकरण

- नशे के आदि लोगों का चिकित्सक से परामर्श करवाया जाकर इलाज करवाना
- नशा छूटने पर उक्त व्यक्ति को पुनः समाज कि मुख्य धारा से जोड़ना
- युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाकर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में प्रयुक्त करना

नशा मुक्ति महाभियान की उपरोक्त पैबंद योजना का विस्तार अब जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक ऐसा गांव जहाँ नशे कि प्रवृत्ति अधिक हो, का चयन किया जाकर ग्राम कालियां कि तर्ज पर पैबंद योजना का क्रियान्वन किया जाएगा। इस प्रकार जिला श्रीगंगानगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा बहुआयामी कार्य किये जा रहे हैं जिससे सम्पूर्ण जिला आने वाले समय में एक नशा मुक्त समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होगा।

– श्री हेमन्त शर्मा (आई.पी.एस.)
एस.पी. श्रीगंगानगर

केस स्टडी

बालक बनवारी की आयु 12 वर्ष थी व वह बांदीकुई का रहने वाला था। उसके पिता गांव में खेती का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी फिर भी वे किसी तरह उसे स्कूल भेजते थे। बनवारी का घर रेलवे स्टेशन से बहुत पास था। एक दिन वह खेलते खेलते स्टेशन पहुँच गया। उसका घूमने जाने का मन हुआ और वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठ कर चला गया। वह जयपुर स्टेशन पर उतरा और पूरा दिन घूमा। उसके पास मात्र 30 रूपये थे जिससे उसने खाना खा लिया। पूरा दिन घूमने के बाद रात को जब बनवारी वापस स्टेशन आया तो उसको भूख लगी पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने आस पास के लोगों से मदद भी मांगी पर किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। कुछ देर बाद बनवारी को स्टेशन पर पहले से रह रहे कुछ अन्य बच्चे मिले। उन बच्चों ने आकर बनवारी से बात करी व अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले गए। खाना खाने के बाद जब सब बच्चे वापस स्टेशन पर आये तो उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बनवारी को भी ज़बरदस्ती नशा करवाया और उसके साथ मारपीट करी। बनवारी ने बताया कि यहीं से उसका बुरा समय शुरू हो गया था क्योंकि वे बच्चे उसको नशा करवाते थे व पैसों के लिए मारपीट करते थे। वे बच्चे उससे ट्रेन में बोतल व कचरा उठाने का काम करवाने लगे और जो भी पैसे वो कम के लाता, उससे छीन लेते थे। बनवारी के साथ उस समय जो भी हो रहा था उसको उसने ये सोच कर अपना लिया कि यही ज़िन्दगी है और विभिन्न प्रकार के नशे जैसे शराब, धूम्रपान, गांजा का आदि हो गया। एक दिन वह ट्रेन कि पटरी पर से कचरा उठा रहा था, तभी वहां एक ट्रेन आ गयी। उस समय उसने इतना नशा किया हुआ था कि उसको ट्रेन के आने का पता नहीं चला और उसका एक पैर कट गया। किसी तरह यह सूचना जयपुर में कार्यरत टाबर संस्था को मिली तो संस्था सचिव व कार्यकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे व उसका इलाज करवाया। उसे टाबर संसथान में लाये व इलाज जारी रखवाया गया। संस्थान द्वारा इलाज करवाए जाने पर उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। जब बनवारी की काउंसलिंग की गयी तो पता चला कि वह अपने घर का पता भूल गया है। वह नशे का इतना आदि हो गया

था कि वो वहां पर भी नशा मांगने लगा और खाना पीना बंद कर दिया। नशे के कारण वह रात को सोता नहीं था और खाना नहीं खाता था। संस्था कि ओर से उसे नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ा गया और उसे बिना बताये उसका इलाज शुरू किया गया। संस्था के काउंसलर द्वारा उसको समय समय पर परामर्श दी जाने लगी व अलग से एक टीम बना कर उसके घर का पता करने में लग गए। उसका काफी ध्यान रखा जाने लगा, अन्य बच्चों के साथ पढाई में व्यस्त रखा व थिएटर से जोड़ा गया। धीरे धीरे बनवारी को पढाई व थिएटर में अच्छा लगने लगा और उसका ध्यान नशे से हटने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी स्थिति में काफी सुधार आ गया था और वह अन्य बच्चों के साथ मिल कर खुश रहने लगा। उधर दूसरी तरफ, संस्था कार्यकर्ता द्वारा बनवारी के घर का पता करने की काफी कोशिश की गयी और अन्य जिलों में पुलिस व बाल कल्याण समिति से संपर्क किया गया। आखिरकार बालक के घर का पता चल गया। उसे घर भेजने से पहले उसके माता पिता कि काउंसलिंग कि गयी क्योंकि जैसे ही उनको बनवारी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता, वे खुद को संभल नहीं पाते। उनको समझाया गया कि वह अब पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है, पढाई करने लगा है, व एक पैर न होने के बावजूद भी काफी खुश रहता है और पहले से अधिक मोटीवेट होकर जीवन जीने कि चाह रखता है। इसके बाद बांदीकुई से बालक के माता पिता को बुलाया गया। अपने बेटे को देख कर वे बहुत खुश हुए और उनकी आँखों से आंसू छलक गए। बनवारी अब अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहता है और 12वीं कक्षा में पढता है। अपने जन्मदिन पर वह टाबर संसथान में आता है और वहां रह रहे अन्य बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाता है ।

–श्री रमेश पालीवाल
–श्री जिनेश पटेल
टाबर संस्थान

बच्चों में नशा – मीडिया की नजर से

नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बाल कल्याण निकाय सरकार से सहायता लेगा[12]

1 जुलाई, 2019, गुरूग्रामः हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की एक घोषणा के अनुसार, 22 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए सरकार से सहायता की मांग की जाएगी। ऐसे केंद्रों की जरूरत के लिए सरकार को अवगत कराने के पश्चात एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। परिषद् के महासचिव ने बताया कि सिरसा में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग व अन्य प्रयासों से लगभग 5000 रोगी नशे की लत से निजात पाकर लाभान्वित हो चुके हैं। इस सफलता के पश्चात, परिषद अपने इस कार्य को ऐसे अन्य जिलों में भी फैलाना चाहता है जहां नशा सेवन के मामले बहुत अधिक हैं।

अपने बच्चों को शराब व अन्य नशे से बचाना[13]

6 जुलाई, 2018, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस गंभीर मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति का निरूपण नहीं करने के लिए जवाब मांगा, जबकि इस संदर्भ में दिसंबर 2016 में आदेश पारित कर दिया गया था। इसकी वजह है कि बच्चों में शारब व अन्य नशीली दवाओं का सेवन खतरे के स्तर पर पहुंचता जा रहा है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में 15 से 19 वर्ष आयु समूह के लड़कों पर एक सर्वेक्षण किया जिसमे यह चौकाने वाले तथ्य सामने आए कि 28.6 प्रतिशत लड़के तम्बाकू और 15 प्रतिशत अल्कोहल सेवन के आसक्त हैं। इसी आयु समूह की लड़कियों को भी अध्ययन में शामिल किया गया था जिससे यह पता लगा कि 8.5 प्रतिशत लड़कियाँ तम्बाकू और 7 प्रतिशत अल्कोहल के सेवन की आदि हैं। कोर्ट के अनुसार, प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और विशेषकर जोखिमपूर्ण लोगों और बच्चों के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

---

[12] *https://m.timesofindia.com/city/gurgaon/child-welfare-body-to-seek-governments-aid-for-drug-de-addiction-es/amp_articleshow/70016324.cms*
[13] *https://www.indiatoday.in/mail-today/story/save-our-children-from-alcohol-and-drug-abuse-says-supreme-court-1278779-2018-07-06*

दिल्ली : प्रत्येक तीन में से एक बेसहारा बच्चा (स्ट्रीट चाईल्ड) नशे, अल्कोहल का आदि है[14]

State bans sale of tobacco, food items under one roof

25 जनवरी, 2018 – नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक तीन में से एक बच्चा मादक दवा/पदार्थ के सेवन में लिप्त है। अल्कोहल/शराब, तम्बाकू व भाँग इनमें शामिल हैं। एम्स द्वारा की गई एक शोध से पता लगा है कि 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साथियों के दबाव (पीयर प्रेशर) से नशा लेना शुरू किया जबकि 19 प्रतिशत ने जिज्ञासा/आजमाईश के लिए ऐसा करना शुरू किया। जिन्होंने अपने आपको ऊँचा दिखाने के लिए नशा करना चाहा ऐसे लोग 16 प्रतिशत थे जबकि 9 प्रतिशत ने रोजमर्रा के तनाव व परेशानियों का सामना करने के लिए ऐसा किया। डा. मंजु धवन, प्रोफेसर, एम्स, राष्ट्रीय व्यसन उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), जो कि इस अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता भी हैं, के अनुसार यह संभवतः पहला वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि बेसहारा बच्चों में नशे/मादक पदार्थों के सेवन के स्तर का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। यह अध्ययन 7 से 18 वर्ष तक की आयु के 766 बेसहारा बच्चों पर किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार तम्बाकू सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है जबकि अल्कोहल/शराब, इन्हेलेन्ट्स, भाँग, हेरोईन, अफीम, सिडेटिव्स, इन्जेक्टेब्ल्स आदि उसके बाद आते हैं। एनडीडीटीसी ने यह भी पाया है कि बच्चों में नशे की लत उनके अभिभावकों या परिवार के अन्य सदस्यों के कारण लगती है क्योंकि 86 प्रतिशत बेसहारा बच्चों के अभिभावक भी नशे में लिप्त थे।

नशे से प्रभावित बच्चों को सहयोग की जरूरत है[15]

28 मार्च, 2018– मदुरई : मदुरई समाज विज्ञान संस्थान (एमआईएसएस) ने नशे से प्रभावित बच्चों के लिए विशिष्ट देखभाल पर एक तीन–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। शिक्षकों, गैर–सरकारी संगठनों एवं वंचित–वर्ग के बच्चों से निरंतर सम्पर्क में रहने वाले सरकारी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उनके अनुसार शराब व नशीली दवाओं की लत के मामले उन बच्चों में अधिक हैं जो कि वंचित परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अधिकतर नशा मुक्ति केंद्रों में 18 वर्ष से कम आयु के नवयुवकों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे अपने शराबी पिताओं के व्यवहार की नकल करना सीखते हैं जो कि महिला को नियंत्रित करने के बहाने उनकी माताओं के साथ हिंसा करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा से यह भी सामने आया कि नशीली दवाओं का सेवन अक्सर मनोरंजन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो कि थोड़े समय में एक आदत बन जाता है।

तिमाही की गतिविधियाँ

काउंसलर्स, अधीक्षकों और केस वर्कर्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

इंटेलीजेंस ट्रेनिंग एकेडमी, जयपुर में काउंसलर्स, अधीक्षकों, व केस वर्कर्स का प्रशिक्षण

जयपुर शैल्टर होम्स के काउंसलर्स, अधीक्षकों, व केस वर्कर्स के लिए 23 व 24 अप्रैल को एक दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जेजे (किशोर न्याय) मॉडल नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को बढ़ावा देना था। इन प्रावधानों में शामिल हैं समुचित पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा एवं मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शैल्टर का प्रावधान; शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा, स्कूलों में पंजीयन, व्यावसायीक प्रशिक्षण, रोजगार प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, नशा मुक्ति व एचआईवी/एड्स की रोकथाम। समुचित काउंसलिंग, केस मैनेजमेंट, व डॉक्युमेंटेशन के माध्यम से देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वासन व घर–वापसी के लिए जरूरी प्रयास किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

---

[14] *https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-a-third-of-street-kids-use-drugs-alcohol/articleshow/62642164.cms*
[15] *https://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/children-affected-by-drugabuse-need-support/article23369909.ece*

राजस्थान इंटेलीजेंस ट्रेनिंग एकेडमी जयपुर में लड़कियों की एक्सपोज़र विज़िट

सीसीपी के सहयोग से श्रीमति परम ज्योति, निदेशक, आईटीए जयपुर के पर्यवेक्षण में श्रीमति लक्ष्मी, इंस्पेक्टर व श्रीमति वीणा शास्त्री, डीएसपी, द्वारा स्लम एरिया की किशोर बालिकाओं के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन

सीसीपी के मार्गदर्शन में एसआरकेपीएस के लिए राजस्थान इंटेलीजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में एक एक्सपोज़र विज़िट का आयोजन किया गया। एसआरकेपीएस, प्लान इंडिया के सहयोग से जयपुर में महिलाओं व लड़कियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका नाम ''सुरक्षित शहर'' (सेफर सिटीज़) है। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थानों और परिवहनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़नों व हिंसा का समाना करना पड़ता हैं। इस संदर्भ में, 30 से 35 लड़कियो के लिए 25 मई व 17 जून को दो विज़िट्स गठित की गयीं।

3 से 6 जून 2019 के दौरान चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री कपिल गर्ग डीजीपी, राजस्थान पुलिस द्वारा स्वागत संबोधन

सीसीपी ने आईसीएमईसी के सहयोग से, जीसीसीटी के समन्वयन में और राजस्थान पुलिस अकादमी की भागीदारी से ''ऑनलाईन बाल यौन उत्पीड़न इन्वेस्टीगेशन्स'' विषय पर 3 से 6 जून 2019 तक चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, के कांफ्रेंस हॉल में किया गया। यह कोर्स राजस्थान के इन्वेस्टीगेशन ऑफीसर्स, बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, के साथ साथ किशोर विशेष पुलिस इकाईयों, मानव तस्करी निरोध इकाईयों, राजस्थान पुलिस साईबर सेल और एसपीयूपी की फैकल्टी के लिए डिजाईन किया गया था। आईसीएमईसी, गूगल, क्वीन्सलैंड पुलिस सर्विस, ऑस्ट्रेलिया, लुईसियाना स्टेट पुलिस, कैनेडीयन लॉ इन्फोर्समेंट ऐजेंसी, फिलोनी डिवीज़न – लियोन काउंटी स्टेट, जॉर्डेनीयन नैशनल पुलिस, केरल पुलिस, कर्नाटक पुलिस, इत्यादि से आए रिसोर्स पर्सन्स (प्रशिक्षकों) ने इस आयोजन में अपना योगदान दिया। इस आयोजन में लक्षित समूहों के कुल मिलाकर 90 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

18 से 21 जून 2019 के दौरान सवाई माधोपुर, राजस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

पोक्सो अधिनियम, 2012 पर सत्र

सवाई माधोपुर जिले में 18 से 21 जून 2019 के दौरान एसजेपीयू, सीडब्ल्यूपीओ, एएचटीयू के अधिकारियों, एसएचओ व सीएलजी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस सत्र में बाल विकास व बाल मनोविज्ञान, जेजे एक्ट के नियम व उनका क्रियान्वयन, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाने के प्रेक्टीकल सेशन, बाल संरक्षण की स्थिति और सामुदायिक प्रतिभागिता की ज़रूरत, इत्यादि विषयों को शामिल किया गया था। श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर; सुश्री प्रदन्या देशपांडे, बाल मनोवैज्ञानिक; श्री जावेद अंसारी, यूनिसेफ, राजस्थान; श्री समीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर; व श्री धीरज वर्मा, प्रशिक्षक – आरपीए जयपुर, द्वारा प्रशिक्षण सत्र लिए गए।

27 से 30 जून 2019 के दौरान चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

चित्तौड़गढ़ जिले में 27 से 30 जून 2019 के दौरान एसजेपीयू, सीडब्ल्यूपीओ, एएचटीयू के अधिकारियों, एसएचओ व सीएलजी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षार्थियों को बच्चों से संबंधित गंभीर मुद्दों, जैसे बाल अधिकार, यूएनसीआरसी व संवैधानिक प्रावधानों, डूंगरपुर पुलिस की बाल–अनुकूल पुलिस प्रक्रियाओं पर इन्टरेक्टिव सत्र, बाल संरक्षण व संबंधित कानून,

इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक–चित्तौड़गढ़, डीएलएसए के सदस्य सचिव, सुश्री सिंधू बीनूजीथ, कन्सल्टेंट, यूनिसेफ, सुश्री प्रदन्या देशपांडे, बाल मनोवैज्ञानिक, श्री जावेद अंसारी, कन्सल्टेंट, यूनिसेफ, राजस्थान, एसपी ऑफिस टीम, इत्यादि ने प्रशिक्षण प्रदान करने में अपना योगदान दिया।

प्रशिक्षण के प्रतिभागियों का सामूहिक चित्र

बाल संरक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत

बाल अधिकारों के संदर्भ में ''भारतीय संविधान'' पर श्री अंशुमन सक्सेना द्वारा ली गयी कक्षा

सीसीपी ने एसपीयूपी व यूनिसेफ के सहयोग से इंटेलीजेंस ट्रेनिंग एकेडमी, जयपुर में 15 व 16 जून 2019 को बाल संरक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए दो दिवसीय कॉन्टेक्ट क्लासेज़ का आयोजन किया। कक्षा की शुरूआत सीसीपी टीम द्वारा दिए गए संक्षिप्त परिचय के साथ हुई। श्री राधाकांत सक्सेना, से.नि. पुलिस महानिदेशक–कारावास; श्री अंशुमन सक्सेना, एडवोकेट– राजस्थान उच्च न्यायालय; सुश्री प्रदन्या देशपांडे, बाल मनोवैज्ञानिक व समाज सेविका; श्री जावेद अंसारी, कन्सल्टेंट, यूनिसेफ; श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक– समाज कल्याण विभाग; एवं डा. राजीव गुप्ता, से.नि. विभागाध्यक्ष–समाजशास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा लेक्चर लिए गए। मानव अधिकारों की अवधारणा व रूपरेखा, भारतीय संविधान, यूएनसीआरसी व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, बाल अधिकार व उनकी अनुपालना, विशेष बच्चों के प्रकार व उनकी परिस्थितियां एवं विस्थापन संबंधित मुद्दों जैसे विषयों पर कक्षाएं ली गयी।

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

एडवाईज़री बोर्ड

डॉ. राजीव गुप्ता
प्रोफेसर (रिटायर्ड), राजस्थान विश्वविद्यालय व अध्यक्ष, सीसीपी एडवाईज़री बोर्ड

डॉ. मंजू सिंह
विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग, वनस्थली विश्वविद्यालय

श्री राधाकान्त सक्सेना
आईजी कारवास (रिटायरर्ड)

डॉ. संजय निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

श्री बिस्वा रंजन पटनायक
वरिष्ठ सलाहकार–सीसीपी

संपादक
अदिति व्यास
कन्सल्टेंट–रिसर्च एंड डॉक्युमेंटेशन, सीसीपी जयपुर

योगदान व सहयोग
सीसीपी टीम

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।

सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाईट देखें:
http://www.centreforchildprotection.org

आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : +91 8619672924

हम अपने पाठकों से भी आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, सुझाव इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : writetoccpjaipur@gmail.com

Newsletter

Setu

Dedicated to Child Protection
by Centre for Child Protection (CCP)

unicef for every child | SPUP | Centre for Child Protection

June 2019 • Edition 15

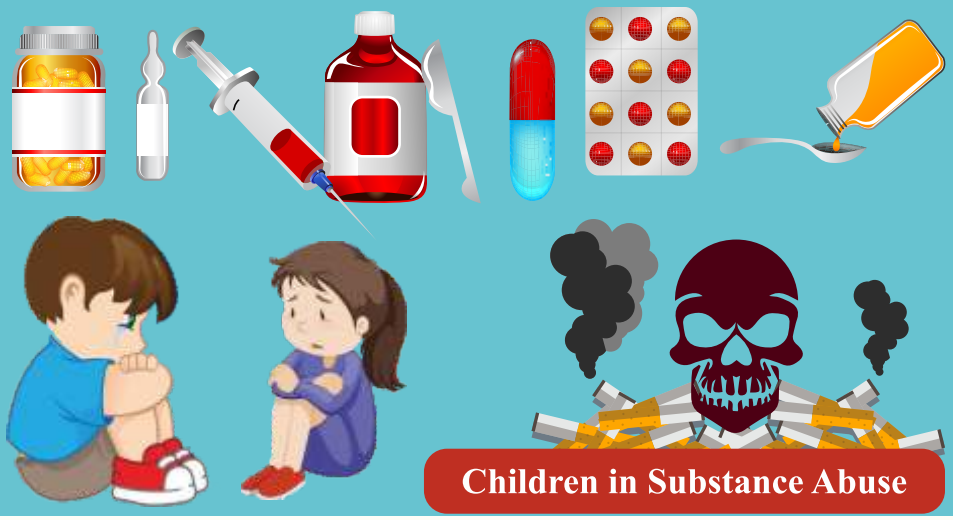

Children in Substance Abuse

From The

Director's Desk

Children are innocent and dependent. They need to be supervised, guided and taken care of, in all situations. Adolescence is a phase of life when the children are most prone to fall prey to things and habits which could be harmful to them. One of such vulnerabilities is substance abuse or commonly called drug abuse. From the prevailing scenario and trends concerning substance abuse, it may be held that the incidences of consumption of varied drugs are higher in children than in adults. The incidences of children getting trapped are more because teenage is a time when children want to try new things and experiment. It may also be seen very commonly that primarily in adolescents, addiction to illicit substances is associated with identity formation as well. In the race of being ahead and to perform over their capabilities, they begin to consume drugs early in their lives and gradually get addicted to it which has long term effects on their behaviour, mental and physical health and social well-being.

Children, being at a critical stage of life need to be prevented from such things. The younger a child consumes and get addicted to any kinds of drugs, higher the chances are for his mental and physical ill-development. The drugs or substance abuse has other noticeable and crucial negative outcomes such as school underachievement or even dropout, distorted relations with parents/ family, depression, etc. It may be quite evidently seen and noticed that with time, the age of first use of drugs and other illicit material has also been decreasing. This is very alarming and calls for urgent intervention as young children breathing tobacco and consuming alcohol has become a very common sight.

It is the responsibility of adults within family and the society to address this issue. Family is the first step where the process of prevention and treatment starts. In the cases where the problem is not addressed through the family intervention, rehabilitation centres prove to be of help. At societal level also, if the laws are implemented and followed in an efficient manner, substance abuse can be prevented to a large extent. It is here the onus lies on the police to take up preventive measures especially around schools and educational institutions to provide our children a drug free environment. Further, strong punitive action against the carriers, organized criminals behind the drug trafficking need to be ensured.

This edition of SETU is about children in substance abuse. Besides the subject and information about legal provisions, it brings out an article enlightening about the current situation of intoxication through different substances in Shri Ganganagar District of Rajasthan and the efforts & initiatives that are being carried out by the local Police. Also, through the medium of a real case study in the present edition, the probable circumstances of children falling in the trap of substance abuse may be understood. Though, the circumstances are varied and undefined but the case helps the readers to have an understanding about how a young boy unknowingly got into it and had almost reached the verge of a destructed future when he was rescued and rehabilitated.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection, Jaipur.

Substance Abuse in Children: An Introduction

The World Health Organization (WHO) refers to substance abuse as hazardous usage of psychoactive substances including alcohol and illicit drugs[1]. Repeated consumption of such drugs,alcohol and other drugs pose serious health concerns to the children. Not only does it have negative impact on the health of the children but it is associated with negative behavioural alterations. Risky behaviours such as delinquency, suicidal tendency, academic failure, violence, truancy, early sexual activity, etc. are associated with substance abuse [2]. Drug and alcohol consumption in the adolescent population is leading preventable causes of accidents and fatalities. Among other consequences are delinquency, incidences of suicide, teenage pregnancy, underachievement in school, etc. There are implications on other children/ toddlers/ infants as well due to passive drug consumption. Gradually, with the increase in drug intake, there develops addiction which is a resultant of interplay between the individual consuming it, the drug and the environment around[3].

Who is at Risk?

In the present times, preadolescents along with the adolescents are at risk of substance abuse, drug consumption and addiction. There are psychological disturbances and physical manifestations related to such condition. As generally seen in some cases, the children are more at risk because of being related to the families wherein drug consumption is a regular and routine practice. Other children who are perceived to be at a comparative higher risk are school dropouts, juvenile delinquents, street children, children on railway platforms suffering from depression, pregnant teenagers, victims of emotional & physical abuse, delinquents, children belonging to the disadvantaged communities, those with mental ill health, etc. A major significant factor of substance abuse is peer group. This is because such behaviour becomes more prominent with a social group constituted of members of the same age, gender and social group. This marks the beginning of experimentation and thus, addiction. In adolescence, drug abuse usually has association with delinquency, social behaviour, inappropriate sexual behaviour, misconduct in school, poor academic performance, etc. The physical manifestations of drug abuse are also many and are not limited to heart disfunction, respiratory infections, central nervous system depression, persistent cough, kidney & lever damage, sleep disturbances, autonomic arousal, weight loss, sweating, gastrointestinal troubles, etc [4].

Rising craze of hukkah barin adolescents in the present times has also been a major concern. Hukkahs are also called ‘water-pipes’. They are used for consuming tobacco in a specially-made form which comes in different flavours. This kind of tobacco is placed in a containerand heated by charcoal. The tobacco thus heated, is then breathed through a pipe. The adolescents are much into hukkah smoking as this a much refined and sophisticated form of traditional tobacco. Not only young boys but a large number of young girls are also commonly seen smoking hukkah. Since, it is considered more of like a social norm these days, the nicotine consumed is much higher than cigarette smoking because of frequent, deep and longer duration of puffing. Despite several health threatening factors attached to it, adolescents are commonly seen doing this kind of intoxication in relatively bigger cities across the country.

[1] *https://www.who.int/topics/substance_abuse/en/*
[2] *https://pedsinreview.aappublications.org/content/18/11/394*
[3] *https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/189961*
[4] *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1793917/pdf/archdisch00633-0007.pdf*

Legal Provisions Related to Children in Substance Abuse

- ***The Cigarette and Other Tobacco Products Act, 2003-*** Commonly known as COTPA, the Act prohibits the advertisement, regulation of trade and commerce, production, supply and distribution of tobacco products in India.Under this Act, there is prohibition on smoking in public places & public transport. The advertisement of tobacco related products should also not be shown. It restricts the people below 18 years of age to buy tobacco and forces a pictorial warning on all tobacco products along with a written warning in both, English and Hindi, that smoking is injurious to health. A fine of Rs. 200 is also imposed on those found smoking in public places or who sells it to minors. There is also a provision of imposition of fine on manufacturers if they do not depict warning on the outer label of the pack [5].

- ***Single Convention on Narcotic Drugs, 1961-*** This Convention targets to combat drug abuse by the means of coordinated international action. In the first place, it limits the possession, use of drugs, trading, distribution, export, import, manufacturing, production of drugs for scientific and medical purposes. Secondly, it combats the trafficking of drugs through international cooperation to deter and discourage the traffickers of drug [6].

- ***Convention on Psychotropic Substances, 1971-*** The 1971 Convention consists of 33 articles and is largely based on the single convention on narcotic drugs of 1961. The international narcotic drug control was coded, streamlined and extended by this convention only. This convention of 1971, regulates the manufacturing and distribution of psychotropic drugs. Also, a limit is imposed on the sale and advertisement of the drugs. It also states the requirement to maintain a system of inspection and measures to fight traffic in controlled substance. The Convention also holds that the states must take measures to prevent and treat the abuse and rehabilitation of those who are addicted [7].

- ***UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS), 1988-*** This Convention provides comprehensive measures against drug trafficking which also includes provisions against money laundering and diversion of precursor chemicals. In addition, it also provides for international cooperation. For example, extradition of drug traffickers, controlled deliveries and transfer of proceedings [8].

- ***Comprehensive Action Against Drug Abuse (CADA)-*** CADA is the Punjab Government's scheme for combating the menace of substance abuse. The inclusions of this scheme are the effective enforcement of relevant laws related to smuggling & trafficking of illicit substances, effective legal action against the smugglers/ dealers/ suppliers of varied drugs. This strategy mainly emphasizes on complete disruption of the entire supply chain in Punjab. The scheme also provisions for the establishment and efficient functioning of affordable de-addiction centres and programmes for the rehabilitation and complete recovery of the patients. It also implies measures that prevent the vulnerable sections of the society to get into this menace[9].

[5] *https://www.careerride.com/view/features-of-cotpa-act-21193.aspx*
[6] *https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html*
[7] *https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/this-day-in-history-the-1971-convention-on-psychotropic- substances.html*
[8] *https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html*
[9] *http://pbhealth.gov.in/cada%20file.pdf*

Combating Substance Abuse in Children

Substance abuse in children may be controlled and restricted by some of the measures taken up by various stakeholders. The major preventive strategies are as below[10] :

- ***Prohibited Use of Certain Drugs/ Substances-*** The three international conventions concerning drugs have the concept of preventing the usage of certain drugs, other than medical reasons. These conventions are Convention on Psychotropic Substances, 1971, Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. These conventions state prohibition of non-medical use of certain drugs in those countries only, who have signed these. India is one of the countries to have signed these conventions.

- ***Restricted Sale & Availability-*** This is the most feasible strategy to control drug consumption in adolescents that the sale and availability of such substances be made restricted. The restriction applies not only to the adolescents but to all age groups that consume drugs. In India, some of the states such as Manipur, Gujrat, Mizoram, Bihar, Union Territory of Lakshadweep and Nagaland which have prohibition of sale, purchase and consumption of alcohol. Among these, Gujrat stands as the only state where there is an award of death penalty on making and sale spurious liquor which causes death.

- ***Minimum Legal Age-*** Many countries impose minimum age limit as 18 years for legal purchase of drugs and alcohol. The legal age for consuming alcohol varies from state to state. Some of the states have kept this age as 25 years. The provisions of the Cigarette and Other Tobacco products Act, 2003, make it difficult for the adolescents as it prohibits the sale of such products to persons below 18 years of age.

- ***High Pricing & Taxation-*** Increase in the monetary value of alcohol and other drugs would lead to a reduction in their consumption. This may be done through imposing higher taxes. There have been consistent evidences of reduction in overall consumption of alcohol with increase in the taxes which in turn has affected other aspects in terms of lesser evidences of crime, violence, mortality, sexually transmitted diseases, etc. However, this model is less effective in India as compared to the developed countries.

- ***Restriction on Advertisements of Substances-*** The adolescents tend to get provoked to consume substances because of the prominent advertisements largely in the print and electronic media. They subtly pressurize the young people to experiment as many of them include celebrities or young models and are humour based. Advertisement may be held responsible for about 30% of the alcohol and tobacco use in adolescents. Section 5 of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003, bans the advertising of tobacco and alcohol products.

- ***Motivational Enhancement Therapy-*** This is based on social learning theory and the concept of change. Motivational enhancement theory is a client-centered theory which tends to enhance internal motivation to adapt change.

[10] *http://www.indianjpsychiatry.org/article.asp?issn=00195545;year=2017;volume=59;issue=1;spage=111;epage=118;aulast=Jiloha*

- ***Parental Responsibilities-*** The prevention of substance abuse starts with parents or family at large. An effective communication, listening and teaching the child to say 'no' to anything they are not comfortable with, is the first step to prevent the menace. The best time to establish this kind of dialogue with children is the onset of adolescence as this is the time when children get much into influence of their peers. Hence, the role of prevention starts with the family[11].

Substance Abuse: In Special Context of Shri Ganganagar District

Introduction : Sri Ganganagar district is also known as the "Paddy Bowl" due to its continuous progress in the area of agriculture. Being an agrarian district, there is always a demand of labours in Sri Ganganagar. The labours were started giving narcotics like Opium, Poppy for consumption in dynastic era in order to increase their work efficiency. Gradually, this habit expanded among general public through the labour class and now every class, including students of schools and colleges, are trapped in this menace.

Three types of substance abuse are presently quite prevalent in Sri Ganganagar:

- Traditional Intoxicants: Opium, Doda Post (poppy), Heroin, Smack/ Chitta, Ganja, etc.
- Psychotropic drugs: In this category benzodiazepine drugs includes Alprazolam Tablet, Diazepam Tablet, Nitrazepam, Etizolam etc., and the category of opioid drugs includes, Tramadol hydrochloride tablet, cough syrups containing Codienphosphate, painkiller injections etc.
- Chitta: This is a modern form of intoxicants which doesn't have a fix composition. It is either made by mixing one or more types of intoxicating tablets with smack or by mixing other substances.
- Due to imposition of restrictions over sale and use of "post" (poppy) by the state government, use of psychotropic drugs as cheaper and accessible substitute is increasing excessively by the labourers and unemployed youth. Besides, the use of inhalants, "Chitta", Heroine, and Smack is increasing tremendously among young generation of the socially affluent section.

In years 1990 -1993, the then DSP, **Mr. Sudhir Pratap Singh, IPS,** initiated de-addiction campaign first time in the district. Under the campaign, he initiated organizing de-addiction camps throughout the district by the police department. The campaign was then converted in an institutional form. This program continued for many years. Thereafter, in January 2019, **Mr. Hemant Sharma, IPS,** became District Supdt. of Police - Sri Ganganagar, gave the scheme a new form and initiated it in the whole district after preparing a detailed work plan. He prepared a multi-dimensional plan for this and included following points in the plan:

- ***Strict restriction on the supply of drugs/intoxicants:*** Sri Ganganagar police is continuously taking punitive actions against the drug smugglers. The district has taken intense action against this threat in a campaign mode during last 4 months which has effectively resulted in restricted availability of the psychotropic drugs. In order to control sale of psychotropic drugs, through drug controllers surprise inspection visits were done at the medical stores along with decoy operations at some stores, which in turn resulted in licence suspension of 145 medical stores and cancellation of 72 stores.
- ***Awareness generation about consequences of the substance abuse, especially among adolescents:*** Programs are being run to make the society aware about substance and drug abuse.

[11] *https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/Drug-Abuse-Prevention-Starts-with-Parents.aspx*

➢ ***PaibandYojna:*** This scheme was launched in village Kaliyan on March 6, 2019. Under this scheme, Sri Ganganagar police is making efforts to free Kalian village from the risk of drug addiction through adopting it, which is infamous due to excessive drug abuse. Following tasks are to be implemented under this scheme:

- Identification of drug addicted adolescents and adults within the village through door to door survey
- Facilitating addicted people to consult and get treatment from a doctor
- Rehabilitation and mainstreaming the person in society after freeing him from addiction.
- Utilizing energy of young generation in positive works through making them aware about ill-effects of drugs and substance abuse.

The Paiband Yojna of the super-campaign of de-addiction, has to be proposed for expansion in all police station areas in the district, wherein a village with high prevalence of drug abuse will be selected from each area to implement the Paiband Yojna in the way it was devised in village Kaliyan. In this way, multidimensional functions are being done by police in the district of Sri Ganganagar. With such efforts the district will lead towards establishment of a substance and drug abuse free society in future.

- Shri Hemant Sharma (IPS)

SP, Shriganganagar

Case Study

Banwari was a 12-year-old resident of Bandikui. His father was a farmer in the village. Despite his poor financial condition, he somehow managed to send Banwari to school. One day he reached the railway station while playing as his house was very near to the station. He wanted to go somewhere and boarded the train with his friends. He deboarded at Jaipur station and roamed around the city the entire day. He had merely Rs. 30/- with him which he spent on lunch. After roaming in the city, when Banwari returned back to the station, he was hungry but did not have anything to eat. He asked for help from the people around but failed to get any help. After some time, Banwari met some other children who were already staying at the station. They spoke to Banwari and took him with them for dinner. When the children returned back to the station, they started to consume drugs and intoxicating themselves. They forced Banwari also to consume drugs and beat him. Banwari shared that his bad time had started from here as those children used to force him to consume drugs and beat him for money. The children made him pick trash and bottles from the train and would take all the money he earned the entire day. Banwari had accepted everything that was happening to him as his fate and gradually got addicted to alcohol, tobacco, weed, etc. one day he was picking trash from the railway track when suddenly a train came there. Banwari was so intoxicated at that time that he could not realize that the train was approaching and lost one of his legs. Somehow, TAABAR society in Jaipur got this news and the Secretary along with a worker reached at the place of accident and got his treatment started. He was brought

to TAABAR society. Because of his treatment by the society, there was a lot of improvement in his health. When his counselling was done, it was known that he had forgot his home address. He had got so addicted to drugs that he started asking for it in and stopped eating anything. Because of intoxication, he would not sleep at night and not eat anything. He was associated to deaddiction centre through TAABAR and started finding his home. He was taken care of, made busy in studies and was associated with theatre. Gradually, Banwari started enjoying studies and theatre and he started getting deviated from intoxication. In a short span of time, there was a lot of improvement in his health and he started being happy in the company of other children. On the other side, the society worker tried hard to search for his home and police and child welfare committee in other districts were contacted. Finally, the child's home could be located. His parents were counselled before sending him home because they would not have been able to control themselves upon knowing about Banwari's accident. They were told that he is a very good condition, has started studying, remains happy despite not having a leg and wishes to live with much more motivation. After all this, they were called from Bandikui. They got very happy to see their son and tears ran through their eyes. Banwari, now stays with his parents and is studying in 12th std. He comes to TAABAR on his birthday and celebrates his day with other children in the home.

- Shri Ramesh Paliwal
- Shri Jinesh Patel
TAABAR Society, Jaipur

Substance Abuse in Children Through Media Lens

Child welfare body to seek Government's aid for drug de-addiction centres[12]

July 1, 2019- Gurugram: As per the announcement by the Haryana state council for child welfare, it will demand aid from the Government to open drug de-addiction centres across 22 districts. A formal proposal would be submitted by the council after apprising the Government about the need for such centres. The General Secretary of the council told that around 5000 patients have been benefitted to overcome their addiction through counselling and other supports through drug de-addiction centres in Sirsa. After this success, the council is in the process of expansion of its operations in other districts where the instances of substance abuse are very high.

Save our children from alcohol and drug abuse[13]

July 6, 2018- New Delhi:The Supreme Court raised a question on the centre for non-formulation of a national policy on this critical issue despite an order passed in December 2016 in this regard. This is because of the alarmed use and consumption of alcohol and drugs among children. The Ministry of Health and Family Welfare conducted last survey in 2014 among boys in the age group of 15 to 19 years which revealed shocking findings as 28.6 percent of them reported to be tobacco addicted and 15 percent were addicted to alcohol. Girls in the same age group were also taken in the study which revealed that those addicted to tobacco were 8.5 percent while 7 percent were used to consumption of alcohol. As per the court, there must be setting up of de-addiction centres in each of the districts and must address the vulnerabilities, specially in the high-risk population which includes children as well.

Delhi: A third of street kids use drugs, alcohol[14]

January 25, 2018- New Delhi: In the national capital, one in every three children in indulged in drug/ substance

[12] *https://m.timesofindia.com/city/gurgaon/child-welfare-body-to-seek-governments-aid-for-drug-de-addictioncentres/amp_articleshow/70016324.cms*
[13] *https://www.indiatoday.in/mail-today/story/save-our-children-from-alcohol-and-drug-abuse-says-supreme-court-1278779-2018-07-06*
[14] *https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-a-third-of-street-kids-use-drugs-alcohol/articleshow/62642164.cms*

abuse. This includes alcohol, tobacco and cannabis. A study conducted by AIIMS revealed that 29 percent of the respondents consumed drugs because of peer pressure and 19 percent did so out of sheer curiosity. Those who wanted to feel high and so consumed drugs were 16 percent while 9 percent did so to deal with day to day stress and difficulties of life. According to Dr. Manju Dhawan, Professor AIIMS, National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) who is also the principal investigator of this study holds that this is probably the first scientific study that has been conducted in this regard to estimate drug / substance use in street children.The study was conducted on a sample of 766 street children aging between 7 to 18 years. As per the study findings, tobacco is the most commonly used one while alcohol, inhalants, cannabis, heroin, opium, sedatives, injectables, etc. followed. The research team of NDDTC also found out that children get exposed to drugs because of their parents or other family members as the parents of 86 percent of the street children were into substance abuse.

State bans sale of tobacco, food items under one roof

Children affected by drug abuse need support[15]

March 28, 2018- Madurai: Madurai Institute of Social Sciences (MISS) conducted a three-day training programme on specialised care for children affected by drug abuse. The school teachers, non-governmental organisations, government officials who are in regular interaction with children from deprived background, participated in the programme. As per them, the instances of alcohol and drug abuse was quite high in children belonging to underprivileged families. The District Social Welfare Officer stated that most of the drug de-addiction centres have a large population of youth below the age of 18 years. She added that children to learn to replicate the behaviour of their drunk fathers beating their mothers as a way of controlling women. It also came out from the interactions in the training programme that drug consumption is often taken as a recreational activity which turns into addiction in a very short span of time.

Activities of the Quarter

02 Days Training Programme for Counsellors, Superintendents & Case Workers

A two-day training programme was organised for the counsellors, superintendents and case workers of shelter homes of Jaipur on 23rd and 24th April. The objective of the training programme was to adhere to the provisions of JJ model rules i.e. provision for shelter to provide proper nutrition, healthcare, sanitation, hygiene, safe drinking water, education and recreational facilities and protection against abuse and exploitation, enrolments in schools, vocational training, placement, health services, reducing drug & substance abuse and HIV/AIDS. It was also stressed upon that efforts need to be made to rehabilitate, repatriate the children in need of care and protection through proper counselling, case management and documentation. The programme witnessed participation of more than 30 representatives.

Training of Counsellors, Superintendents & Case Workers at Intelligence Training Academy, Jaipur

Exposure visit of Girls to Rajasthan Intelligence Training Academy, Jaipur

An exposure visit to Rajasthan Intelligence Training Academy was facilitated by CCP to SRKPS. SRKPS in

[15] *https://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/children-affected-by-drugabuse-need-support/article23369909.ece*

collaboration with Plan India is implementing a project called "Safer Cities" in Jaipur in order to enable safe environment for women and girls, the aim of which is to ensure safety of women at all public spaces and in the public transport. This is because women often face sexual harassment and violence in the public spaces. In this context, two exposure visits were organised for 30-35 girls on 25th May and 17th June, 2018.

Orientation of Adolescent Girls from Slum Areas by Ms. Lakshmi, Inspector & Ms. VeenaShastri, DYSP in Supervision of Smt. Param Jyoti, Director ITA, Jaipur, Facilitated by CCP

Four-day International Training Program from 03rd – 6th June, 2019

CCP in collaboration with ICMEC, in coordination with GCCT and partnership with Rajasthan Police Academy, organised a four days international training programme on "Online Child Sexual Exploitation Investigations" from 03rd to 06th June, 2019 respectively at Conference hall of Rajasthan Police Academy, Jaipur. This course was designed for Investigating officers, child protection functionaries of Rajasthan, including Special Juvenile Police Units, Anti-HumanTrafficking Units, cyber cell of Rajasthan Police and faculty of SPUP. The resource persons of the event were from ICMEC, Google, Queensland Police Service, Australia, Louisiana State Police, Canadian Law Enforcement Agency, Felony Division- Leon County State, Jordanian National Police, Kerala Police, Karnataka Police, etc., to name a few. The event witnessed participation of 90representatives from target groups.

Welcome Note by Shri. Kapil Garg, DGP, Rajasthan Police

Training Programme in Sawai Madhopur, Rajasthan from 18th to 21st June, 2019

Training of SJPUs, CWPOs, AHTU Officials, SHOs and CLG members was organised from 18th to 21st June 2019, in Sawai Madhopur district. Sessions in the training covered subjects such as child development & child psychology, principles of JJ Act & its implementation, practical session on preparation of social background report, status of child protection and need for community participation, etc. The sessions were taken by Mr. Umesh Ojha, Add. SP Sawai Madhopur, Ms. Pradnya Deshpande, Child Psychologist, Mr. Jawed Ansari, UNICEF Rajasthan, Mr. Sameer Kr. Singh, SP Sawai Madhopur and Mr. Dheeraj Verma, Trainer- RPA Jaipur.

Session on POCSO Act, 2012

Training Programme in Chittorgarh, Rajasthan from 27th to 30thJune, 2019

Training of SJPUs, CWPOs, AHTU Officials, SHOs and CLG members was organised from 27th to 30thJune 2019, in Chittorgarh district. The trainees were trained on critical issues concerning

Group Picture of Training Participants

children such as child rights, UNCRC & constitutional provisions, interactive session on the Child Friendly Policing of Dungarpur Police, child protection & related laws, to name a few. The resource persons of the sessions were Additional SP- Chittorgarh, Member Secretary- DLSA, Ms. Sindhu Binujeeth, Consultant- UNICEF, Pradnya Deshpande, Child Psychologist, Mr. Jawed Ansari, Consultant- UNICEF, SP Office team, etc.

Commencement of Certificate Course in Child Protection

Class on 'Indian Constitution' pertaining to Child Rights by Mr. Anshuman Saxena

CCP in collaboration with SPUP and UNICEF conducted two days contact classes of Certificate Course in Child Protection at Intelligence Training Academy, Jaipur on 15th& 16th June, 2019. The classes began with a brief round of introduction, facilitated by CCP team. The lectures were taken by Shri Radhakant Saxena, Rtd. IGP- Prisons, Mr. Anshuman Saxena, Advocate- Rajasthan High Court, Ms. Pradnya Deshpande, Child Psychologist & Social Activist, Mr. Jawed Ansari, Consultant-UNICEF, Ms. Sandeep Kumar, Assistant Director- Social Welfare Department and Dr. Rajiv Gupta, Retd. HoD-Sociology, University of Rajasthan, Jaipur. The classes were taken on concept & framework of human rights, Indian Constitution, UNCRC & other international conventions, child rights & their redressal, types & situation of special children and issues concerning displacement.

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

Advisory Board:

Dr. Rajeev Gupta
Professor (Retd.),
Rajasthan University,
Chairperson,CCP Advisory Board

Dr. Manju Singh
Head, Deptt. of Sociology,
Banasthali University

Mr. Radhakant Saxena
IG Prisons (Retd.).

Dr. Sanjay Nirala
Child Protection Specialist, UNICEF

Mr. Biswa Ranjan Patnaik
Sr. Consultant-CCP

Editor
Ms. Aditi Vyas
Consultant-Research & Documentation, CCP Jaipur

Contribution & Support
CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues.
To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website:
http://www.centreforchildprotection.org
Feel free to contact us at: +91 8619672924
We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers. Please send your contributions to:
writetoccpjaipur@gmail.com

Premier#9783855551